>

Title: Need to release the share of Central Government for the revival of Cooperative Banks in Uttar Pradesh.

श्री जयंत चौधरी (मथुरा): सहकारी बैंकों के पुनरूद्धार हेतु प्रोफेसर ए. वैद्यनाथन कार्य दल की संस्तुतियों के अनुरूप दिनांक 18 दिसंबर 2006 को केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हस्ताक्षरित एमओयू में केंद्र सरकार को 922.28 करोड़ रूपये एवं राज्य सरकार को 538 करोड़ रूपये की राशि अवमुक्त् करनी थी लेकिन अभी तक केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि अवमुक्त् नहीं हो सकी । फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 सहकारी बैंकों को मानक पूर्ण न करने के कारण बैंकिंग व्यवसाय का लाइसेंस प्रदान नहीं किया और 09 मई 2012 को जमा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया । उक्त 16 जिला सहकारी बैंकों को इस संकट से उबारने के लिए कुल 1460.28 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता की आवश्यकता है ।

धनराशि अवमुक्त न करने के कारण इन बैंकों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है तथा बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है । इन बैंकों के माध्यम से किसानों को खाद, बीज एवं ऋण उपलब्ध कराया जाता है । अतः इन बैंकों के बंद होने से किसानों को अधिक हानि होगी ।

अतः प्रदेश के सभी 16 जिला सहकारी बैंकों को केंद्र एवं राज्य सरकार से वांछित धनराशि यथाशीघ्र अवमुक्त करायी जाए ।